रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 1972/श्रावण 25, 1894
No. 181] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 1972/SRAVANA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th August 1972

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April,* 1972—*March* 1973(*Amendment No.* 16).

No. 118-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Volume II) for the period April, 1972—March, 1973 issued under the Ministry of Foreign Trade public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3rd April, 1972.

2. The existing paragraph 36 of Part E of Section I of Volume II of the aforesaid Policy Book may be renumbered as paragraph 36(ii) at the end of paragraph 36(i):—

"36(ii). In addition to the documents mentioned above, an exporter will also be required to produce any other document/information as may be considered necessary by the licensing authority or is required in terms of the relevant import trade control policy and procedures in force."

3. The above may also be inserted as a sub paragraph number 114(5) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1972-73, and the subsequent sub-paragraphs may be renumbered.

M. M. SEN,
Chief Controller of Import & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1972

विषय.—अप्रैल 1972—मार्च 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 16)

सं० 118-**आई० टी० सी० (पी० एन०)/72**.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 47–आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 3-4-72 के अन्तर्गत अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक रेडबुक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात की नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त नीति पुस्तक के वा० 2 के खण्ड 1 के भाग ई की वर्तमान कंडिका 36 को कंडिका 36(i) के अन्त में 36(ii) के रूप में पुनः सांख्यांकित किया जाए :—

"36(ii). उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त एक आयातक के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह उन दस्तावेजों/सूचना को प्रस्तुत करें जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जायें या तत्सम्बन्धी लागू आयात व्यापार नियंत्रण नीति तथा क्रियाविधि के अनुसार आवश्यक हो।"

3. उपर्युक्त को आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक हैंडबुक, 1972–73 की उप-कंडिका 114(5) के रूप में भी शामिल किया जाए और अनुवर्ती उप-कंडिकाएं पुनः सांख्यांकित की जाए।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972